/ / 1 / /

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 16 / 2018

उनवान

1 रामकिशन पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
— — प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नोरतमल जैन

बनाम

1. कमला पत्नी छगन पुत्री छगना जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती पो. आकोडिया उप तहसील अरांई, तह0 किशनगढ़ अजमेर।
2. उप पंजीयक, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— — अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
2 व 3 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: आदेश :– दिनांक :– 15.6.22

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा में सिति आराजी मुतनाजा का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1480	3–15–0	1738	0.61
2306	1–12–10	2114	0.26
2308	1–1–10	2113	0.05
2309	0–13–0	2115	0.12
		2115	0.11
2743	1–0–0	2281	0.16
2744	0–10–10	2280	0.09
2810	4–18–0	4594	0.79
2833	3–7–10	4561	0.55
415	0–1–0	3009	0.01
4016	3–0–0	3010	0.49

उक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी में प्रार्थी के बडे पिता छगना पुत्र काना के नाम दर्ज थी। जिनके द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रार्थी के पक्ष में रूबरू गवाहान के वसीयतनामा दिनांक 28.01.2002 को निष्पादित किया गया। तथा उक्त वसीयतनामें को पजीबद्व किया गया। छगना पुत्र काना का स्वर्गवास हो चुका हैं तथा उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थी के पक्ष में की गयी वसीयत प्रभावी हो जाने से आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का हक व अधिकार निहित है। छगना पुत्र काना के जीवनकाल में समस्त सेवाये, उनके जीवन की व्यवस्थाये प्रार्थी द्वारा की गयी। छगना की मृत्यु के बाद उसकी पाग भी प्रार्थी को [illegible] गयी। इसके विपरित छगना की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] में [illegible]पादित किया गया। जबकि वसीयत के अनुसार उक्त आराजी पर प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाना चाहिये [illegible] हाल राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आराजी मु[illegible] कब्जे में दखलदांजी की जा रही है तथा भूमि अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी [illegible] जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पा[illegible]या जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता की पुश्तैनी है। अप्रार्थी के पिता छगना पुत्र काना द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कोई वसीयत नही करायी है। छगना पुत्र काना के जीवन काल में व मृत्यु के बाद समस्त खर्चा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही किया गया है। अप्रार्थी के पिता कभी भी प्रार्थी के साथ नही रहे। उक्त आराजी नियमानुसार जवाबकर्ता के नाम दर्ज की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मिथ्या व काल्पनिक है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम उक्त आराजी जरियें विरासत दर्ज हुयी है। अतः प्रार्थना पत्र

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रस्तुत नजीर का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी छगना पुत्र काना की खातेदारी में दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 970 दिनांक 21.11.2016 द्वारा उक्त आराजी जरियें विरासत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुयी अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी की हाल राजस्व अभिलेख में एकल खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार छगना पुत्र काना ने अपने जीवनकाल में एक पंजीबद्व वसीयत दिनांक 28.01.2002 को प्रार्थी के नाम निष्पादित करायी थी। छगना पुत्र काना की मृत्यु दिनांक 20.12.12 को हो गयी थी। छगना पुत्र काना के राशनकार्ड में प्रार्थी को उसका पुत्र दर्शाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि छगना के कोई जायन्दा पुत्र नही था। उक्त वसीयत पंजीबद्व है जिसकी सत्यता से इस स्तर पर इंकार नही किया जा सकता है। आराजी मुतनाजा पुश्तैनी है अथवा स्व अर्जित यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से तय होगा। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में छगना के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरियें विरासत दर्ज कर दी गयी है। छगना द्वारा प्रार्थी को कितने हिस्से तक की वसीयत की जा सकती है का निर्धारण भी मुख्यतः मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही किया जायेगा। अतः मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा का संरक्षण किया जाना न्योयोचित है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। एवं उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण का कथन है कि रेकोर्ड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी वं अप्रार्थी द्वारा पंजीबद्व वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है। वसीयत के निर्धारण से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि का बैचान आगे कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अप्राार्थीगण के विरूद्व व्यायादेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी का अन्यत्र हस्तांतरण करता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया सकता। व ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष है। तदनुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 1738, 2114, 2113, 2115, 2281, 2280, 4594, 4561, 3009, 3010 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे व उक्त आराजी अन्यत्र हस्तांतरण नही करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

Signature Not Verified

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:39:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)